GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAY/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No: 101/98

No. E(P&A)I-96/JCM/DC-1 New Delhi, Dated: 15-5-1998.

The GMs/CAO(R)s/OSDs
All Indian Rlys &Prod Units etc.
(As per mailing list).

Sub: Simplification of rules and procedures relating to Leave Rules - Chapter V of the Indian Railway Establishment Code Volume I, 1985 Edition.
Ref : Board's letters of even number dated 31.7.96 and No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 dated 14.1.93 & 22.6.93.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 554 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 edition (Reprint Edition - 1995) may be amended as in the enclosed advance correction slip No.-65

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Kindly acknowledge receipt.

DA: Correction slip.

(K.J. Abraham)
Joint Director Establishment(P&A),
Railway Board.

No.E(P&A)I-96/JCM/DC-1 New Delhi, dated 15.5.98.

Copy forwarded to the FA&CAOs, All Indian Railways etc.

DA: Correction slip.

(K.J. Abraham)
Joint Director Establishment(P&A),
Railway Board.

No.E(P&A)I-96/JCM/DC-1 New Delhi, dated 15.5.98.

Copy forwarded to the Federations etc.(As per standard mailing list No.III)

for Secretary, Railway Board.

No.E(P&A)I-96/JCM/DC-1 New Delhi, dated :15.5.98.

Copy, with 40 spares, forwarded the the DAI (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner/Rlys.

Copy to :-

PPSs/PSs/PAs to CRB, FC, MS, ME, ML, MM, AM(S), AM(F), & Secretary,EDPC-I&II, EDE, ED(E&R), EDF(B), EDE(N), EDE(IR), EDPGDF(E),DPC,JDE(P&A), JDE(L), JDE(D&A), JDE(G), JDPC-I & II, JS(G), JS(E), DS(E), US(A), DDF(E)III, DE(LR) I, II & III.

E(P&A)II, PC-III, PC-IV & V, ERB-I,II,III,IV,V & D, E(O)I,II,III & E(O)III/CC, CASH-I,II & III, E(G) with five spares, E(GC), E(GP), Budget Br., F(E)I,II,III &SpL, A/Cs III (with 10 spares), Accounts Inspection Cell (with three spares), E(W), E(NG)I & II, E(D&A), E(Rep)I,II & III, Code Revision Cell, (with 3 spares) Branches of Railway Board.

ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE, VOLUME-I, 1985 EDITION (Reprint Edition - 1995)

Advance Correction Slip No. 65

The following amendment may be made to Rule 554 of the Indian Railway Establishment Code, Volume I, 1985 edition (Reprint Edition - 1995) :-

Rule 554 - Hospital Leave

President's decision appearing below Note under sub-clause (4) may be numbered as "President's decision No.1" and the following may be inserted thereunder as President's decisions No. 2, 3 & 4.

2. President's decision No.2 "Divisional Rail Managers (DRMs)/Chief Workshop Engineers (CWEs) are empowered to relax the provisions of Rule 554-R.I, 1985 edition, in individual cases, meriting sanction of Hospital leave beyond a period of 120 days on leave salary equal to leave salary while on leave on average pay, subject to such cases being reviewed by the Medical Superintendents and concurred in by Senior Divisional Accounts Officer/Associate Accounts Officer. Also, a list of such cases should be put up to the General Managers half yearly for their post-facto approval. These powers are to be exercised personally by the DRMs/CWEs and are not to be delegated further. It has also been decided that cases that occured during the intervening period, i.e. from 1985 onwards, where the Railways have already sanctioned Hospital Leave for periods beyond 120 days on leave salary equal to leave salary while on leave on average pay, need not be re-opened."

(Authority : Railway Board's letter No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5, dated 14.1.93).

President's decision No.3 "It has been further decided that the Heads of non-divisional units, such as Workshops, Stores, Depots, Zonal Training Centres, etc., in the Junior Administrative Grade/Selection Grade are also empowered to sanction Hospital Leave beyond a period of 120 days in relaxation of the provisions of Rule 554.R.I, 1985 edition in individual cases meriting sanction of hospital leave beyond a period of 120 days on leave salary equal to leave salary while on leave on average pay. Where the Heads of such non-divisional units are in lower than JA grade, all cases of grant of Hospital Leave beyond a period of 120 days in relaxation of the provisions quoted above should be put up to the controlling SAG officer for sanction. The grant of Hospital Leave beyond 120 days in relaxation of the rules mentioned above in all cases shall however be subject to such cases being reviewed by the Medical Superintendents and concurred in by Senior Divisional Accounts Officer/Associate Accounts Officer. Further, as already stipulated in Board's letter of even number dated 14.1.93, a list of all such cases should be put up to the General Managers half-yearly for their post facto approval. Papers to General Managers

should be routed through the controlling SAG officers. It may also be ensured that payment against Hospital Leave whenever due is made regularly and not allowed to pend."

(Authority : Railway Board's letter No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 dated 22.6.1993.)

President's decision No.4 "It has been decided that such cases of railway servants injured on duty during the intervening period from 1985 to 14.1.93 and where Hospital Leave was not granted beyond 120 days on full average pay may be reviewed by the Railways, and accordingly leave should be regularised, by the General Manager as Hospital Leave beyond 120 days on full average pay in terms of extant orders on the merit of each case for the intervening period from 1985 to 14.1.93.

The old cases will be regularised with the personal sanction of the General Manager with concurrence of the FA & CAO."

(Authority : Railway Board's letter No.E(P&A)I-96/JCM/DC-1 dated 31.7.96.)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं0 101/98
सं0 ई(पीएंडए)1-96/जेसीएम/डीसी-1 नई दिल्ली, दि0 15.5.98

महा प्रबंधक/मुख्य प्रशा.अधि.(रेलें)/विशेष कार्य अधिकारी
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छुट्टी नियमों से संबंधित नियमों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण - भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-1, 1985 संस्करण का अध्याय V.

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.7.96 का समसंख्यक पत्र तथा दिनांक 14.1.93 और 22.6.93 का पत्र सं0 ई(पीएंडए)1-89/जेसीएम/डीसी-5.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द1, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रित संस्करण-1995) के नियम 554 में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं0 के अनुसार संशोधन किया जाए.

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

3. कृपया पावती दें.

के.जे.अब्राहम
संयुक्त निदेशक, स्था.(वे.एवं म.)
रेलवे बोर्ड

संलग्न : शुद्धि पर्ची

सं0 ई(पीएंडए)1-96/जेसीएम/डीसी-1 नई दिल्ली, दि0 15-5-98

प्रतिलिपि सभी भारतीय रेलों के वि.स.मुलेखियों को प्रेषित.

के.जे.अब्राहम
संयुक्त निदेशक, स्था.(वे.एवं म.)
रेलवे बोर्ड

संलग्न : शुद्धि पर्ची

सं0 ई(पीएंडए)1-96/जेसीएम/डीसी-1 नई दिल्ली, दि0 15-5-98

प्रतिलिपि फेडरेशनों आदि को प्रेषित.
(मानक डाक सूची सं.111 के अनुसार)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

सं० ई॥पी एंड ए॥ 1-96/जेसी एम/डी सी-1 नई दिल्ली, दि॰ 15.5.98

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक॥रेलें॥, नई दिल्ली को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित.

ह॰अ॰श्रीराम
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, 1985 संस्करण
(पुनर्मुद्रित-संस्करण-1995) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं०65.....

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रित संस्करण-1995) के नियम 554 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :-

नियम 554- अस्पताली छुट्टी

उप-सं० (4) के अंतर्गत दिए गए टिप्पण के नीचे दिए गए राष्ट्रपति के विनिश्चय की संख्या "राष्ट्रपति का विनिश्चय सं० I" कर दी जाए तथा उसके नीचे राष्ट्रपति का विनिश्चय सं० 2,3 एवं 4 शामिल किया जाए:

2. राष्ट्रपति का विनिश्चय सं० 2 "मंडल रेल प्रबंधकों/मुख्य वर्कशाप इंजीनियरों को नियम 554-स्था० I, 1985 संस्करण के उपबंधों में, ऐसे अलग-अलग मामलों में जिनमें औसत वेतन पर छुट्टी वेतन के समतुल्य वेतन पर 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए अस्पताली छुट्टी स्वीकृत करने की आवश्यकता हो, छूट देने की शक्ति प्रदान की जाती है बशर्ते कि ऐसे मामलों की चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाए तथा वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी/संबद्ध लेखा अधिकारी द्वारा इसकी सहमति दी जाए। ऐसे मामलों की सूची हर छः महीने में महाप्रबंधकों को उनके कार्योत्तर अनुमोदन के लिए भेजी जाए। इन शक्तियों का प्रयोग मंडल रेल प्रबंधकों/मुख्य वर्कशाप इंजीनियरों द्वारा व्यक्तिगत आधार से किया जाए तथा इन्हें आगे प्रत्यायोजित न किया जाए। यह भी विनिश्चय किया गया है कि मध्यवर्ती अवधि अर्थात् 1985 के बाद हुए मामलों को जिनमें रेलों ने औसत वेतन पर छुट्टी वेतन के समतुल्य वेतन पर 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए अस्पताली छुट्टी पहले ही स्वीकृत कर दी हो, दुबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.1.93 का पत्र सं० ई(पी&ए)I-89/जेसीएम/डीसी-5)

राष्ट्रपति का विनिश्चय सं० 3 "यह भी विनिश्चय किया गया है कि गैर-मंडलीय इकाइयों जैसे वर्कशाप, स्टोर, डिपो, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आदि में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/प्रवरण ग्रेड के प्रधानों को नियम 554 स्था० I, 1985 संस्करण के उपबंधों में, ऐसे अलग-अलग मामलों में जिनमें औसत वेतन पर छुट्टी वेतन के समतुल्य वेतन पर 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए अस्पताली छुट्टी स्वीकृत करने की आवश्यकता हो, 120 दिन से अधिक की अस्पताली छुट्टी स्वीकृत करने के लिए छूट देने की शक्ति प्रदान की जाती है जहां ऐसी गैर-मंडलीय इकाइयों के प्रधान कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से निचले ग्रेड में हों, 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए अस्पताली छुट्टी प्रदान करने के सभी मामले उपर्युक्त उपबंधों में छूट के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के नियंत्रण अधिकारी को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। उपर्युक्त नियमों में छूट देकर 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए अस्पताली छुट्टी प्रदान करने के सभी मामलों की चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाए तथा वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी/संबद्ध लेखा अधिकारी द्वारा इसकी सहमति दी जाए। इसके अलावा, जैसा कि बोर्ड के दिनांक 14.1.93 के समसंख्यक पत्र में नियत है, ऐसे सभी मामलों की सूची हर छः महीने में महाप्रबंधकों को उनके कार्योत्तर अनुमोदन के लिए भेजी जाए। महाप्रबंधकों

को कागजात नियंत्रण करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के माध्यम से देखे जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जहां कहीं अस्पताली छुट्टी पर मुआवजा देय होता है, उसका नियमित रूप से मुआवजा कर दिया जाता है तथा इसे लंबित रखने की अनुमति नहीं है।"

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 22.6.93 का पत्र सं० ई(पी एंड ए)1-89/जेसी एम/डी सी-5)

राष्ट्रपति का विनिश्चय सं.4 " यह विनिश्चय किया गया है कि 1985 से 14.1.93 तक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान ड्यूटी पर घायल हुए रेल कर्मचारियों के ऐसे मामलों, जिनमें पूरे औसत वेतन पर 120 दिन से अधिक की अस्पताली छुट्टी प्रदान नहीं की गई थी, की रेलों द्वारा समीक्षा की जाए तथा तदनुसार महाप्रबंधक द्वारा 1985 से 14.1.93 तक की मध्यवर्ती अवधि के लिए प्रत्येक मामले की मैरिट के आधार पर वर्तमान आदेशों के अनुसार पूरे औसत वेतन पर 120 दिन से आगे की छुट्टी अस्पताली छुट्टी के रूप में विनियमित की जाए।

पुराने मामले महाप्रबंधक की व्यक्तिगत स्वीकृति तथा वि.स.एवं लेखा की सहमति से विनियमित किए जाएंगे।"

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 31.7.96 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)1-96/जेसी एम/डी सी-1)